



लोक
कलेक्टर
जिला

कॉल						
1	007820 J	BPCL	14.2	15.7	16.2	0.5
कॉ. सं. और कम्पनी का नाम	ना.	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली	खिलेजर का वजन	खिलेजर का वजन तौलने पर	खिलेजर का शुद्ध वजन

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2026 को प्रवर्तन निरीक्षक पीपल बहेमरहा जिला रसद अधिकांसी के साथ धरल वीस खिलेजरी के व्यवसायिक रुकपयोग में निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जांच दल के रूप में कलक्ट के सामने जैन नमकीन मण्डार, लोक मौके पर पहुंचे। मौके पर धरल खिलेजरी का अवैध मण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पया गया, जो एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः धरल वीस खिलेजरी का अवैध मण्डारण करने के कारण उक्त 01 धरल वीस खिलेजर मौके पर जब कर निरीक्षण प्रपत्र का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः धरल वीस खिलेजरी का अवैध व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पया गया, जो एलपीजी (प्रदाय और वितरण नमकीन मण्डार, लोक मौके पर पहुंचे। मौके पर धरल खिलेजरी का अवैध मण्डारण एवं रुकपयोग में निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जांच दल के रूप में कलक्ट के सामने जैन निरीक्षक पीपल बहेमरहा जिला रसद अधिकांसी के साथ धरल वीस खिलेजरी के व्यवसायिक प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2026 को प्रवर्तन

दिनांक 01.06.2026

निर्णय

उपरोक्त:-
1- धरल वीस खिलेजर का अवैध मण्डारण कर राजसात करने बाधत
- प्रार्थना की ओर से

जिला रसद अधिकांसी के साथ धरल वीस खिलेजर मय एलपीजी आवश्यक वरु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाधत

— अप्रार्थी

जैन नमकीन मण्डार लोक

बनाम

— प्रार्थी

जिल्हा जिलाक प्रताप सिंह प्रवर्तन निरीक्षक पीपल बहेमरहा जिला रसद कार्यालय लोक

23.02.2026

04/2026

प्रतिदि दिनांक

प्रकरण संख्या

(टीना लोधी, आ.इ.ए.एस. द्वारा अध्याक्षित)

न्यायालय जिला कलेक्टर, लोक



202
गुणवत्ता केंद्र
[Signature]

परीकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अ्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। कर्त मीका जती दि० 19.02.2026 के अनुसार जैन नमकीन मण्डार टोक की कुकन/अवसाय स्थल की जांच करने पर मीके पर 14.2 KG क्षमता के 01 सिलेण्डर मिले। धरल मीस सिलेण्डर को अवसायी द्वारा अवैध रूप से मीके पर अवसाधिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पाया गया। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है।

परीकार सरकार कि गई है, जिससे राजसात किया जावे।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जल उल्लेखन किया है। अतः उक्त जलशुद्धी 01 धरल मीस सिलेण्डर मय 0.5 kg एलपीजी को कर्त। उक्त कर्त कर एलपीजी (प्रदाय और विवरण का विनयन) आदेश 2000 का स्पष्ट किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार माने प्रसूत करे तथा इनको खूद-खूद नहीं एलपीजी टोक के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण महारकर की संपुर्ण मी दिया जाकर निदेशित 01 धरल मीस सिलेण्डर को जल कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बन्दल मीस किया जाना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उक्त द्वारा मीके पर नहीं दिये गये। अतः प्रतिनिधि श्री सजिल जैन धरल मीस सिलेण्डरों का कुकपयोग कर अवैध रूप से मण्डारण मय अभिमूहण एवं संपुर्णानामा तैयार किया गया इस प्रकार मीके पर उपस्थित फर्म के मण्डारण करने के कारण उक्त 01 धरल मीस सिलेण्डर मीके पर जल कर निरीक्षण प्रपत्र विनयन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लेखन है। अतः धरल मीस सिलेण्डरों का अवैध अवसाधिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पाया गया, जो एलपीजी (प्रदाय और विवरण का नमकीन मण्डार, टोक मीके पर पडुवे। मीके पर धरल सिलेण्डरों का अवैध मण्डारण एवं कुकपयोग में निरीक्षण/जांच हेतु सयुक्त जांच दल के रूप में कलक्टेट के सामने जैन निरीक्षण पीपल बहमराह जिना रसद अधिकारी के साथ धरल मीस सिलेण्डरों के अवसाधिक परीकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 19.02.2026 को प्रवर्तन

की बहस सृनी गई।
अनुपस्थित रहने से उक्त विकट पर कर तपका कार्यवाही की गई। प्रकरण से परीकार सरकार पत्रावली एवं रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावर्त सैवना के

राजसात किसे जान हेतु प्रवर्तना मय प्रसूत किया है।
अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निरस्तारित करते हुए, उक्त जलशुद्धी सामग्री को अतः उक्त जलशुद्धी 01 धरल मीस सिलेण्डर मय 0.5 kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु



का
का
(टीना लो)

फलतः प्रार्थना पर स्वीकार किया जाता है तथा जलशुद्धि 01 नम उक्त वृत्त पर
 रसाई गैस सिलेण्डर मय 0.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिना रसद अधिकारी
 टांक को निर्दिष्ट किया जाता है कि जलशुद्धि सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।
 निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खले न्यायालय में सुनाया गया।

उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।
 उल्लेखन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः
 दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट
 पर व्यवसायी द्वारा धरल गैस सिलेण्डर का मण्डरण, अवैध रूप से कार्य में प्रयुक्त कर
 धरल गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सखिडी दी जाती है को मौके

धरल गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा
 जांच करने पर टुकान/अवसाय स्थल पर मौके पर 01 धरल गैस सिलेण्डर का अवैध
 मण्डरण किया जाना पाया गया। फट्टे मौका/जली पर दीपक,सुनिल व सत्यनारायण महार
 के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनाम पर भी दीपक,सुनिल व सत्यनारायण महार
 के हस्ताक्षर है तथा बुन्दल गैस एजेंसी टांक के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण महार
 के हस्ताक्षर है। जांचका उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

कूल							0.5
1	0078201	BPCL	14.2	15.7	16.2	0.5	
क०५१०	ए.स. आर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली	सिलेण्डर	वजन वजन का	पर
	नं.		(मात्रा K.G.)	सिलेण्डर	वजन वजन का	पर	सिलेण्डर का शुद्ध गैस

(सभी साजा किलोग्राम में)